# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीरसिंह, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 42/2014

वादी :-

1. श्री सीमेन्ट लि. (रास प्रोजेक्ट जरिये अमरीश कुमार शर्मा मैनेजर (लैण्ड एक्जीक्यूशन) जाति-ब्राह्मण उम्र-35 वर्ष निवासी हाल-मैनेजर श्री सीमेन्ट लि., रास मौजा-रास तहसील-जैतारण, जिला-पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. चन्द्रा पुत्र घीसा फौत के
   कायम मुकाम :-
   1/1 गिरधारी पुत्र चन्द्रा
   1/2 घनश्याम पुत्र चन्द्रा
   1/3 हनुमान पुत्र चन्द्रा
   1/4 श्यामा पुत्र चन्द्रा
   1/5 किशन पुत्र चन्द्रा
   1/6 बिदामी बेवा चन्द्रा
   1/7 रामी पुत्री चन्द्रा
   1/8 गीत पुत्री चन्द्रा
   जातियान-कुम्हार, निवासी-ढ़ाणी भीवगढ़ (रास)
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
2. पांचू पुत्र घीसा फौत के
   कायम मुकाम :-
   2/1 चम्पा बेवा पांचू
   जाति-कुम्हार, निवासी-ढ़ाणी भीवगढ़
3. हरजी पुत्र घीसा फौत के
   कायम मुकाम :-
   3/1 भीका पुत्र हरजी
   3/2 जमना बेवा हरजी
   जाति-कुम्हार, निवासी-ढ़ाणी भीवगढ़
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
4. प्रभु पुत्र घीसा
   जाति-कुम्हार, निवासी-ढ़ाणी भीवगढ़
5. शंकर पुत्र छोगा
   जाति-कुम्हार, निवासी-ढ़ाणी भीवगढ़
6. चुतरा पुत्र काना फौत के
   कायम मुकाम :-
   7/1 रवेता दत्तक पुत्र चुतरा
7. तहसीलदार, जैतारण
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

**राजस्व वाद बाबत् घोषणा, तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955** **तारीख रजू:.20/02/2014**

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।

**-:: निर्णय ::-** **दिनॉकः- 02/05/2017**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि श्री सीमेन्ट लि0 ब्यावर का एक सीमेन्ट प्लांट बांगड़ सीमेन्ट के नाम से सरहद मौजा-रास, तहसील-जैतारण में स्थापित हैं, कार्यरत हैं व उत्पादनरत हैं। उक्त श्री सीमेन्ट लि0 रास प्रोजेक्ट एक कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत् एक पब्लिक लि0 कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हैं। इस कम्पनी के सभी प्रकार के कार्मिक व प्रशासनिक कार्यो के लिए बतौर मैनेजर श्री अमरीश कुमार शर्मा नियुक्त व कार्यरत हैं। कम्पनी के द्वारा कृषि भूमि के लिए तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत हैं व वाद पेश करने के कम्पनी का अधिकार पत्र वाद पत्र के साथ पेश की हैं। जिसे वाद पत्र का एक भाग माना जावें। सरहद मौजा–भीवगढ़, पटवार हल्का–रास–द्वितीय, तहसील–जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 1892 रकबा 4–18 बीघा किस्म बारानी दोयम वाके हैं। जिसमें 1/2 हिस्से में से 5/36 हिस्से का वादी कम्पनी रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 9 उक्त भूमि के रिकॉर्डेड सह खातेदार काश्तकार हैं। सभी हिस्सेदारों के मध्य मौके पर भूमि अलग–अलग बंटी हुई हैं व हिस्सानुसार सभी कब्जा व काश्त हैं व वादी खसरा नम्बर 1892 रकबा 4–18 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि में जिसमें 1/2 हिस्से में से 5/36 हिस्से की भूमि यानि 13 बिस्वा 12 बिस्वांसी भूमि मौके पर बंटी हुई हैं व वादी कम्पनी का अपने हिस्से पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज हैं। मगर वादी व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते के रूप में शामलाती दर्ज हैं व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई हैं। मौके के कब्जे व काश्त अनुसार अलग–अलग तरमीम की हुई नहीं हैं तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा कि सम्वत् 2068 से 2071 की जमाबन्दी खतौनी व नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश की हैं। जिसे वाद का एक भाग माना जावें। वादी की वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1892 रकबा 4–18 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि में जिसमें 1/2 हिस्से में से 5/36 हिस्से की भूमि यानि 13 बिस्वा 12 बिस्वांसी कृषि भूमि मौके पर अलग से बंटी हुई हैं। वादी का अलग से कब्जा व काश्त हैं व वादी ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तकासमा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम रखने का तकासमा करवाने का कहा–मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होंने बंटवाड़ा करवाने से दिनांक 12/01/2014 को मना कर दिया, जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। वादी अपनी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तकासमा करवाने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। बाद तकासमा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग / उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी हैं व प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। यदि प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को असीम हानि होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं हैं। वादी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार–बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेगें। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादीगण संख्या 10 तहसीलदार जैतारण वादग्रस्त कृषि भूमि में लैण्ड होल्डर हैं, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं व तकासमा आराजी के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से इस वाद में उन्हें पक्षकार बनाया गया हैं। उनके विरूद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई हैं। प्रतिवादीगण को वादी कम्पनी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती हैं। इसलिए प्रतिवादीगण के नाबालिग या फौत होने की दिशा में वादी कम्पनी के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वाद की कार्यवाही में प्रार्थना पत्र के जरिये संशोधन करने का अधिकार रहेगा। बिनायवाद दिनांक 12/01/2014 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस का कहने व प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने व वादी को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

देने पर बमुकाम–रास में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद हक अख्त्यार समायत अदालत बाला के हैं। इस प्रकार माफिक दावा वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली / सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वाद के समर्थन में वादी का साक्ष्य का शपथ–पत्र पेश किया, सा0मि0 हैं।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस व्यक्त किया कि माफिक राजस्व रिकॉर्ड विवादित आराजी का वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाया जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, एवं दस्तावेजात मय नजरी नक्शा, साक्ष्य शपथ–पत्र का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः वादी स्वयं रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, जिससे माफिक राजस्व रिकॉर्ड बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस उक्त विवादित भूमि का बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी हैं, लिहाजा प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर पक्षकारानों में वादी के हिस्से का बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा–भीवगढ़, पटवार हल्का–रास–द्वितीय, तहसील–जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 1892 रकबा 4–18 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2017/336 दिनांक 30/03/2017 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने पत्रांक /भू0अ0/17/1844 दिनांक 01/05/2017 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

वकील वादी ने प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी का पेश किया कि न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करने के पश्चात् वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 के कायम मुकाम 5/1, 5/2 एवं 5/4 का 1/18 हिस्सा एवं 8, 9 का 1/12 हिस्सा कुल रकबा 4–18 बीघा में से जरिये लिखित पंजीयन दस्तावेज खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया हैं। लिखित पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न हैं। चूँकि प्रतिवादी संख्या 5/1, 5/2 एवं 5/4 व 8, 9 के हिस्से की भूमि वादी द्वारा लिखित पंजीयन दस्तावेज खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लेने से वादी को उक्त हिस्से में धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अंतिम डिक्री पारित करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी एवं लिखित पंजीयन दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। वस्तुतः वादी द्वारा उक्त प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि को जरिये लिखित पंजीयन दस्तावेज खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लेने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। वकील वादी से प्रार्थना पत्र 1 नियम 10(2) सीपीसी नियम 151 सीपीसी का पक्षकार हटाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया कि इस वाद में प्रतिवादी संख्या 5 शिवराम के फौत होने पर कायम मुकाम 5/1, 5/2 एवं 5/4 हैं। प्रतिवादी संख्या 5/3 छोटी पुत्री शिवराम प्रतिवादी संख्या 5 के कायम मुकाम नहीं होते हुए भी वाद में पक्षकार के रूप में गलत पक्षकार बना दिया हैं, जिसे वाद में पक्षकार हटाया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि वाद में प्रति. संख्या 5 के कायम मुकाम 5/3 छोटी पुत्री शिवराम आवश्यक पक्षकार नहीं होने से वाद से हटाये जाने के आदेश फरमावें। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। इस संबंध में पटवारी हल्का रास से जांच एवं फर्द मौका

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का ने प्रति0 संख्या 5 शिवराम की वंश वृक्षावली रिपोर्ट एवं फर्द पेश की कि शिवराम के विधिक वारिसान दो पुत्र एवं पत्नि ही हैं, पुत्रियाँ नहीं हैं। प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का की फर्द मौका रिपोर्ट सा0मि0 किया गया।

प्रार्थना पत्र धारा 1 नियम 10(2) नियम 151 सीपीसी का एवं पटवारी हल्का की फर्द रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा धारा 1 नियम 10(2) सीपीसी का स्वीकार किया जाता हैं।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली मय दस्तावेजात, साक्ष्य का शपथ-पत्र एवं प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा वादी को उक्त हिस्से की भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं एवं प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/4 व 8, 9 के नाम हटाये जाते हैं। माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

## -:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-भीवगढ़, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 1892 रकबा 4-18 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

| क्र. सं. | नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत | खसरा नम्बर | रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री सीमेन्ट लि. (रास प्रोजेक्ट जरिये अमरीश कुमार शर्मा मैनेजर (लैण्ड एक्जीक्यूशन) जाति-ब्राह्मण उम्र-53 वर्ष निवासी हाल - मैनेजर श्री सीमेन्ट लि., रास खातेदार। | 1892 | 1-07-00 | बा0दो0 | 0.34 रू. |
| 2 | शंकर पुत्र छोगा 11/142, खेता दत्तक पुत्र चुतरा 33/142, गिरधारी घनश्याम हनुमान श्यामा किशन पि0 चन्द्रा, बिदामी बेवा चन्द्रा, रामी गीता पुत्रियाँ चन्द्रा, चम्पा पत्नि पांचू, भीका पुत्र हरजी, जमना पत्नि हरजी, प्रभु पुत्र घीसा 98/142 कौम-कुम्हार सा. ढ़ाणी भींवगढ़ खातेदार। | 1892/1 | 3-11-00 | बा0दो0 | 0.89 रू. |

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी को उक्त हिस्से की भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं एवं प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/4 व 8, 9 के नाम हटाये जाते हैं। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। अन्तिम डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय विभाजन प्रस्ताव की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 02/05/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)